झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक–03/वि०स०/बी०आई०टी०(रा)– 09/15– 2354 /राँची, दिनांक :– 18.07.15

प्रेषक,

दिलीप कुमार झा,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी०आई०टी०, सिन्दरी।

प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
झारखण्ड।

विषय:– **विभाग द्वारा NOC प्रदान किये जाने से संबंधित दिशा–निदेश के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप लोगो के द्वारा संस्थान में कार्यरत शिक्षकों/कर्मियों को अन्य स्थानों पर नियुक्ति हेतु निर्गत की जाने वाली NOC के लिए भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों को गंभीरता से बिना जांच किये ही अग्रसारित कर दिया जाता है। आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी स्पष्ट अनुशंसा/मंतव्य भी अंकित नहीं किया जाता है। इसके कारण विभाग स्तर पर निर्णय लेने में कठिनाई होती है तथा इसमें विलंब भी होता है। साथ ही, कभी–कभी अग्रसारित किये गये आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा भी नही रहता है।

अतः विभाग को NOC प्रदान करने हेतु अग्रसारित की जाने वाली सभी आवेदन पत्रों को अग्रसारण करने से पूर्व सभी संस्थान के प्रमुख द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जायः–

01 अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ संस्थान प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि आवेदन पत्र में भरी गई सभी सूचनाएं एवं तथ्य सही है।

02 इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट/आश्वस्त हो लिया जाय कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है।

03 अग्रसारित आवेदन पत्र में विभाग स्तर से की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के संबंध में संस्थान प्रमुख द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव, मतव्य एवं अनुशंसा अंकित हो।

04 संस्थान प्रमुखो के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी विभाग को उपलब्ध कराया जाय कि सबंधित शिक्षक/कर्मचारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई निगरानी/आपराधिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नही है एवं विभागीय सचिव के हस्ताक्षर वाले स्थान पर संस्थान प्रमुख द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/ 18/07/15

(दिलीप कुमार झा)
संयुक्त सचिव

R.K.

Scanned by CamScanner